



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01092026-275897
CG-DL-E-01092026-275897

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4629]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 31, 2026/भाद्र 9, 1948

No. 4629]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 31, 2026/BHADRA 9, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2026

का.आ. 4816(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आंध्र प्रदेश राज्य के श्री सत्य साई जिले में राजमार्ग संख्या.205 (नया रारा-42) कि.मी.92/900 से कि.मी.93/900 के पर लेवल क्रॉसिंग संख्या.45C पर कि.मी.93/400 के स्थान पर एल हेच एस निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जॉइंट कलेक्टर, श्री सत्य साई डिस्ट को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के श्री सत्य साई जिले में राजमार्ग संख्या.205 (नया रारा-42) कि.मी.92/900 से कि.मी.93/900 के पर लेवल क्रासिंग संख्या.45C पर कि.मी.93/400 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश			जिले का नाम: श्री सत्य साई		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: कदिरि					
गांव का नाम: काँवलेपल्ले					
1	120-1	सरकारी	वागू पोराम्बोके	0.18 (एकर)	0.072845
2	124A-1	निजी	पट्टा ड्राय	0.4500012 (एकर)	0.1821125
3	124A-2	निजी	पट्टा ड्राय	0.0499999 (एकर)	0.0202347
4	144-1A	निजी	पट्टा ड्राय	0.07 (एकर)	0.0283286
5	144-2A	निजी	पट्टा ड्राय	0.07 (एकर)	0.0283286
6	144-3A	निजी	पट्टा ड्राय	0.1500001 (एकर)	0.0607042
7	144-4	निजी	पट्टा ड्राय	0.1199999 (एकर)	0.0485633
8	145B-1	निजी	पट्टा ड्राय	0.0499999 (एकर)	0.0202347
9	145B-2	निजी	पट्टा ड्राय	0.6300012 (एकर)	0.2549575
10	196	सरकारी	रेलवे लैंड	0.0800001 (एकर)	0.0323756
Total					0.7486847

[फा. सं. NH-15017/17/2025-P&M/3A2]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st August, 2026

S.O. 4816(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for "Construction of Limited Height Subway (LHS) on National Highway No.205(New NH-42) from Km.92/900 to Km.93/900 in lieu of level crossing No.45C at Km.93/400 in Sri Sathya Sai District in the state of Andhra Pradesh" hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the COMPETENT AUTHORITY FOR LAND ACQUISITION, NAMELY, JOINT COLLECTOR, SRI SATYA SAI DIST in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land for the work of "Construction of Limited Height Subway (LHS) on National Highway No.205(New NH-42) from Km.92/900 to Km.93/900 in lieu of level crossing No.45C at Km.93/400 in Sri Sathya Sai District in the state of Andhra Pradesh"

State: ANDHRA PRADESH			District: Sri Satya Sai		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Kadiri					
Village: Kowlepalle					
1	120-1	Government	Vagu poramboke	0.18 (Acre)	0.072845
2	124A-1	Private	Patta Dry	0.4500012 (Acre)	0.1821125
3	124A-2	Private	Patta Dry	0.0499999 (Acre)	0.0202347
4	144-1A	Private	Patta Dry	0.07 (Acre)	0.0283286

5	144-2A	Private	Patta Dry	0.07 (Acre)	0.0283286
6	144-3A	Private	Patta Dry	0.1500001 (Acre)	0.0607042
7	144-4	Private	Patta Dry	0.1199999 (Acre)	0.0485633
8	145B-1	Private	Patta Dry	0.0499999 (Acre)	0.0202347
9	145B-2	Private	Patta Dry	0.6300012 (Acre)	0.2549575
10	196	Government	Railway Land	0.0800001 (Acre)	0.0323756
Total					0.7486847

[F. No. NH-15017/17/2025-P&M/3A2]

SHAIKH AMINKHAN, Director